न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—151/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/151)

1. रहमान उर्फ रामा पुत्र गभीरा मेहरात जाति मेहरात निवासी इन्द्र कॉलोनी मसूदा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सुशीला पत्नि प्रेमसिंह रावत जाति रावत निवासी ग्राम करवाई बाडिया डाबली, पोस्ट हरराजपुरा ग्राम पंचायत हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2024 राजस्व वाद संख्या 326/2021 (2021/700).

उपस्थितः—

1. श्री ईदरिश मौहम्मद, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री करणसिंह रावत व मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 326/2021 (2021/700) में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष विरूद्ध अपीलांट के इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि सायल/रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि वाके मोजा मसूदा प्रथम पटवार क्षेत्र मसूदा प्रथम में स्थित है तथा खसरा नम्बर 2504/827 रकबा 0.1214 रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात है। सायला/रेस्पोडेंट संख्या 01 की उक्त भूमि खसरा नम्बर 2504/827 में आने जाने का रास्ता सदियों से खसरा नम्बर 2836/830 में से रहा है, तथा सायला अपनी उपरोक्त आराजीयात में सदैव काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

करने हेतु अपनी बैलगाडी, चारा की ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि संसाधनों से एवं पैदल आती जाती रही है किंतु राजस्व रिकार्ड में अपने नाम होने का फायदा उठा कर गैर सायलाना संख्या 1, सायला को हैरान व परेशान करता है तथा रास्ता रोकने पर आमादा है। इसलिए सायला की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु बने रास्ते खसरा नम्बर 2836/830 में से होकर रास्ता तरमीम किया जाकर प्रार्थीया के हक में रास्ता कायम किया जावे। उपरोक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। किंतु अप्रार्थी की बिना प्रोपर नोटिस तामील करवाए, बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए तथा उनकी गैर मौजूदगी में तैयार एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने अपने आदेश दिनांक 14.6.2024 द्वारा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 2836/830 में से रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित कर दिए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 326/2021 (2021/700) में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपीलांट को बिना सुने ही, बिना नोटिस तामील करवाए, बिना अपीलांट की उपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट को आधार मान कर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अपनी आराजीयात में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 829 में पूर्व से मौजूद है, तथा मौका रिपोर्ट में भी यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि कोई सा रास्ता दिया जाना उचित है, ना ही पक्षकारों की मौजूदगी में यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई। किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई निष्कर्ष दिए रास्ता स्वीकृत किए जाने का निर्णय पारित किया है। उनके समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनाई गई ना ही कभी पक्षकारान की उपस्थिति में कोई मौका देखा ही नहीं गया ना ही किसी पक्षकार को नोटिस तामील करवाए गए, ना ही किसी पक्षकार के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर मौजूद है, परंतु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर पटवार हल्का द्वारा तैयार एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए तथा वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को ना तो अपीलांट हाजिर था ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया गया, एक तथाकथित जवाब उसके तरफ से पेश किया जाना अंकित करते हुए सरसरी तौर पर लगभग नॉन स्पीकिंग, नॉन रिजण्ड आदेश पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वच्छ हाथों से नहीं गया है क्योंकि खसरा नम्बर 2504/827 में जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 829 में से चला आ रहा है इसलिए स्वयं के खेतों में से होकर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लिया जा सकता था परंतु जानबूझकर उपरोक्त खसरा नम्बरान से रास्ता नहीं लिया तथा अपीलांटस की भूमि को खराब करने की नियत से कार्यवाही की गई जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 326/2021 (2021/700) में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0आर0टी0 2019(1) पेज 403 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2504/827 की भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए के तहत पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीया अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2504/827 में आने जाने के लिए पडौसी अपीलांट के खसरा नम्बर 2386/830 में पूर्वजों के समय से मौके पर बने रास्ते से आवागमन करती है इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको दिनांक 01.12.2021 दर्ज कर अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अप्रार्थी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। उपखण्ड अधिकारी, के आदेश की पालना में 251–ए के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा जवाब व मौका रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश की। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट प्रार्थी के पास उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिए गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया और ना ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में मौके व राजस्व रिकार्ड में उक्त आदेश की पालना हो चुकी है तथा रिकार्ड व मौके पर रास्ता चालू है। यदि उपखण्ड अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाता है तो अपीलांट/अप्रार्थी मौके बने रास्ते को अवरूद्ध कर बंद कर देगा जिससे अप्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों में आने जाने में भारी परेशानी होगी तथा फसल काश्त नहीं कर पाएगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। अप्रार्थी/प्रार्थी के पास अपने खातेदारी खेतों में जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट को परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दिनांक 14.06.2024 को रास्ते बाबत विधि सम्मत आदेश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश दिनांक 14.06.2024 की पालना मौके व राजस्व रेकार्ड में हो चुकी है तथा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 2836/830 में से रास्ता दिया जाकर रास्ते के खसरा नम्बर 3152/2836 गै0मु0 रास्ता रिकार्ड में दर्ज हो चुका है एवं मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू है यदि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित विधि सम्मत आदेश की मनगढंत व बेबुनियाद आधारहीन तथा अप्रार्थी को परेशान करने के उद्वेश्य से उक्त अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है जो खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील मीमों में अप्रार्थी/प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 829 में रास्ता होना अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की है जबकि खसरा नम्बर 829 गै0मु0 चाह के खसरा नम्बर है जिसमें से कानूनी रूप से किसी प्रकार से रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष विरूद्ध अपीलांट के इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि सायल/रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि वाके मोजा मसूदा प्रथम पटवार क्षेत्र मसूदा प्रथम में स्थित है। तथा खसरा नम्बर 254/827 रकबा 0.1214 रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात है। सायला/रेस्पोडेंट संख्या 01 की उक्त भूमि खसरा नम्बर 2504/827 में आने जाने का रास्ता सदियों से खसरा नम्बर 2836/830 में से रहा है, तथा सायला अपनी उपरोक्त आराजीयात में सदैव काश्त करने हेतु अपनी बैलगाडी, चारा की ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि संसाधनों से एवं पैदल आती जाती रही है किंतु राजस्व रिकार्ड में अपने नाम होने का फायदा उठा कर गैर सायलाना संख्या 1, सायला को हैरान व परेशान करता है तथा रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रोकने पर आमादा है। इसलिए सायला की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु बने रास्ते खसरा नम्बर 2836/830 में से होकर रास्ता तरमीम किया जाकर प्रार्थीया के हक में रास्ता कायम किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण को दिनांक 01.2.2021 को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए तत्पश्चात् दिनांक 31.12.2021, दिनांक 04.03.2022, दिनांक 20.05.2022 एवं दिनांक 15.06.2022 दिनांक 21.07.2022 की पेशिया दी गई दिनांक 16.09.2022 को पुनःनोटिस तलबाना के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार, मसूदा से रिपोर्ट प्राप्त हुयी तथा आगामी पेशी दिनांक 18.11.2022 को पुनः रजिस्टर्ड एड़ी से नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर पत्रावली में आगामी पेशियॉ 11.01.2023, दिनांक 16.02.2023, दिनांक 18.05.2023, दिनांक 10.08.2023, दिनांक 31.08.2023, दिनांक 23.11.2023, दिनांक 21.02.2024, दिनांक 29.05.2024 दी गयी। दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीया की ओर से अधीवक्ता श्री नजीर मोहम्मद ने वकालतनामा पेश किया तथा पूर्व में जवाब पेश किया रेकार्ड पर लिया गया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश दिनांक 14.06.2024 नियत की गई। दिनांक 14.06.2024 को प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 01 की नोटिस तलबी पूर्ण होने से ही पूर्व ही तलब कर ली गयी तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.09.2022 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार की गयी है, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर के अतिरिक्त किसी भी पक्षकारान व मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी का जवाब जो पत्रावली में सलंग्न किया गया है जिसमें केवल अंगूठा निशानी ही है, यह अंगूठा निशानी किस की है अंकित नहीं किया गया तथा जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न शपथ–पत्र पर भी केवल अंगठा निशानी लगी हुयी है तथा शपथ–पत्र का सत्यापन किसी के भी द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अंगूठा निशानी से स्पष्ट नहीं होता है कि यह अगूंठा निशानी किसकी है तथा शपथ–पत्र के सत्यापित नहीं होने से कारण इसको अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता है। मौका रिपोर्ट भी एक पक्षीय तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता बाबत् भी कोई अंकन नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपील के पैरा संख्या 7 में यह अंकन किया है कि **" अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वच्छ हाथों से नहीं गया है क्योंकि खसरा संख्या 2504/827 में जाने के लिए रास्ता खसरा संख्या 829 में से चला आ रहा है इसलिए स्वयं के खेतों में से होकर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लिया जा सकता था परंतु जानबूझकर उपरोक्त खसरा नम्बर से रास्ता नहीं लिया गया तथा अपीलांटस की भूमि को खराब करने की नियत से इस प्रकार की कार्यवाही की जो निरस्त किए जाने योग्य है।** " हमने पत्रावली का अवलोकन किया जमाबंदी संवत 2072–2076 में खसरा संख्या 829 में रेस्पोडेंट सुशीला पत्नि प्रेम सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा खसरा संख्या 2503/827 में खसरा संख्या 829 के सहखातेदार डाली पत्नि प्रभात के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि सुशीला के स्वयं की सहखातेदारी के होते हुए न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया जा सकता था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं कर प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है।

7. अप्रार्थी/अपीलांट की खसरा नम्बर 2836/830 भूमि का रकबा कम हैं। उक्त अपीलाधीन आदेश तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में भी कोई अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने बाबत किसी प्रकार का अंकन आदेशिका में नहीं किया गया है तथा मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की तलबी होने से पूर्व ही तैयार की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार के वैकल्पिक मार्ग का भी अंकन नहीं किया गया है इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 326/2021 (2021/700) में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए वैकुल्पिक मार्ग के संबंध में मौका रिपोर्ट में अंकन कर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर के न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/11/2024

(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner